संख्याः 44 /USDMA/792(2020) 20

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून, दिनांक : 12 अप्रैल, 2021

विषयः **कोविड–19 के संक्रमण के नियत्रंण हेतु विवाह समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में।**

महोदया/महोदय,

वर्तमान में राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत कोविड–19 Containment Zone के बाहर आयोजित होने वाले **विवाह समारोह में अधिकतम 200 लोगों** को COVID Appropriate Behaviour जैसे कि मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

अतः उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

Om Prakash

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी o/c

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबंधन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

12/4/2021

(एस0 ए0 मुरूगेशन)
सचिव o/c

DRAFT-1 21

संख्या: /USDMA/792(2020)

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए. **देहरादून, दिनांक : अप्रैल, 2021**

विषयः कोविड–19 के संक्रमण के नियत्रंण हेतु विवाह एवं अन्य सामाजिक समारोह के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

वर्तमान में राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड–19 संक्रमण के दृष्टिगत कोविड–19 Containment Zone के बाहर विवाह ~~एवं अन्य सामाजिक~~ समारोह में अधिकतम 200 लोगों को COVID Appropriate Behaviour जैसे कि मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

अतः उपर्युक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा. मंत्री, आपदा प्रबंधन।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद), विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मत्रीगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से,

(एस0 ए0 मुरूगेशन)
सचिव ~~(प्रभारी)~~

22

आरती आहूजा भा.प्र.से.
अपर सचिव
Arti Ahuja, IAS
Additional Secretary
Tel. : 011-23061066, 23063809
E-mail : ash-mohfw@nic.in

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
Nirman Bhavan, New Delhi - 110011

सत्यमेव जयते

D.O. No. Z 28015/3/2020-EMR
Dated the 5th April, 2021

संख्या 1424 /मुख्य सचिव/ PS /2021
दिनांक 7/4/2021

Dear Sir,

Please refer to your D.O. Letter No. 1132/PS-CS/2021 dated 02nd April 2021 on the issue of relaxing the requirement of mandatory RTPCR negative report and medical certificate to Kumbh Mela pilgrims who have completed the doses of COVID-19 vaccine.

2. As has also been communicated by WHO, recipients of vaccines may still be able to get infected with SARS-CoV-2. In such a scenario, strict adherence to COVID appropriate behaviour, viz. mask-wearing, and following hand hygiene and physical distancing is all the more critical, even after getting vaccinated.

3. In view of the above, relaxation of requirement of mandatory RTPCR negative report and medical certificate to Kumbh Mela pilgrims who have completed the doses of COVID-19 vaccine is not feasible.

With warm regards,

Yours sincerely,

(Arti Ahuja)

Shri Om Prakash
Chief Secretary
Govt. of Uttarakhand
Dehradun
Uttarakhand.

Imp
Secy UD/DM/ Medical Health
07.04.21
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून
1147
A.S (DM) / ACEO (Adm).
07/04/2021
(एस. ए. मुरुगेशन)
सचिव
आपदा प्रबंधन
उत्तराखण्ड शासन

E.D. (I/C)
(डा0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी(प्रशासन)
08/4/2021

23

संख्याः 04 /USDMA/792 (2020)TC

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए. देहरादून, दिनांकः 02, अप्रैल, 2021

विषयः कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

आज दिनांक 02 अप्रैल, 2021 को कैबिनेट सचिव, भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग आहूत की गयी, जिसमें उनके द्वारा वर्तमान में देश भर में बढ़ते हुए कोविड–19 संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं।

उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों/पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से COVID Appropriate Behavior जैसे कि मास्क पहनना (Wearing Mask) तथा सामाजिक दूरी (Social Distancing) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को कृपया निर्देशित करना सुनिश्चित करें कि COVID Appropriate Behavior का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005, Epidemic Diseases Act-1897, पुलिस एक्ट तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जाये।

कृपया उक्तानुसार की जाने वाली कार्यवाही की दैनिक आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Om Prakash
(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव

24

संख्याः 04 /USDMA/792 (2020)TC

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए. देहरादून, दिनांकः 02, अप्रैल, 2021

विषयः कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

आज दिनांक 02 अप्रैल, 2021 को कैबिनेट सचिव, भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग आहूत की गयी, जिसमें उनके द्वारा वर्तमान में देश भर में बढ़ते हुए कोविड–19 संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं।

उत्तराखण्ड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों/पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थलों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से COVID Appropriate Behavior जैसे कि मास्क पहनना (Wearing Mask) तथा सामाजिक दूरी (Social Distancing) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को कृपया निर्देशित करना सुनिश्चित करें कि COVID Appropriate Behavior का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005, Epidemic Diseases Act-1897, पुलिस एक्ट तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जाये।

कृपया उक्तानुसार की जाने वाली कार्यवाही की दैनिक आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

Om Prakash

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव